# राजस्थान **उच्च** न्यायालय जयपुर बेंच

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) सं. 2214/2018

पॉल मित्रा, पिता श्री अनिल कुमार मित्रा, निवासी 33-ए, श्रीनाथपुरम ई, कोटा राजस्थान

#### बनाम

- 1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
- 2. एम/एस वाइब्रेंट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड.ए-14-ए, इन्द्रप्रस्थ, औद्योगिक क्षेत्र, रोड नं.1, कोटा, सामान्य प्रबंधक रवीदत्त, पुत्र सोमदत्त, निवासी 265-ए, तलवंडी, कोटा, राज

----प्रतिवादी

### संबंधित मामलों

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) सं. 2212/2018
आकाश, पिता श्री चंद्रिका प्रसाद गुप्ता, निवासी 125-ई, श्रीनाथपुरम, कोटा राजस्थान
----याचिकाकर्ता

#### बनाम

- 1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
- एम/एस वाइब्रेंट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड.ए-14-ए, इन्द्रप्रस्थ, औद्योगिक क्षेत्र, रोड नं.1, कोटा, सामान्य प्रबंधक रवीदत्त, पुत्र सोमदत्त, निवासी 265-ए, तलवंडी, कोटा, राज

----प्रतिवादी

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 2213/2018 लोकेश कुमार पुत्र श्री रामचंद्र डेतवाल, निवासी ए-555, श्रीनाथपुरम, कोटा राजस्थान ----याचिकाकर्ता

#### बनाम

- 1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
- एम/एस वाइब्रेंट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड.ए-14-ए, इन्द्रप्रस्थ, औद्योगिक क्षेत्र, रोड नं.1, कोटा, सामान्य प्रबंधक रवीदत्त, पुत्र सोमदत्त, निवासी 265-ए, तलवंडी, कोटा, राज

----प्रतिवादी

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 2217/2018 संजय कुमार सिंघल, पुत्र श्री शिवचरण लाल अग्रवाल, निवासी 303, दीपश्री संग संग, टूक यूनियन के पीछे, एमबीएस मार्ग, कोटा, राजस्थान

----याचिकाकर्ता

#### बनाम

- 1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
- एम/एस वाइब्रेंट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड.ए-14-ए, इन्द्रप्रस्थ, औद्योगिक क्षेत्र, रोड नं.1, कोटा, सामान्य प्रबंधक रवीदत्त, पुत्र सोमदत्त, निवासी 265-ए, तलवंडी, कोटा, राज

----प्रतिवादी

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 2218/2018

बृजेश जिंदल, पुत्र श्री अशोक जिंदल, बी-409, शक्न एनक्लेव, टूक यूनियन के पीछे, एम.बी.एस. मार्ग, कोटा राजस्थान

----याचिकाकर्ता

#### बनाम

- 1. राजस्थान राज्य. पी.पी. के माध्यम से
- 2. एम/एस वाइब्रेंट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड.ए-14-ए, इन्द्रप्रस्थ, औदयोगिक क्षेत्र, रोड नं.1, कोटा, सामान्य प्रबंधक रवीदत्त, पुत्र सोमदत्त, निवासी 265-ए, तलवंडी, कोटा, राज

----प्रतिवादी

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 2222/2018 पीयूष माहेश्वरी, पुत्र श्री श्याम स्न्दर माहेश्वरी, निवासी 1395-ए, बसंत विहार, केशवप्रा, कोटा राजस्थान

----याचिकाकर्ता

#### बनाम

- 1. राजस्थान राज्य. पी.पी. के माध्यम से
- 2. एम/एस वाइब्रेंट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड.ए-14-ए, इन्द्रप्रस्थ, औद्योगिक क्षेत्र, रोड नं.1, कोटा, सामान्य प्रबंधक रवीदत्त, पुत्र सोमदत्त, निवासी 265-ए, तलवंडी, कोटा. राज

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री द्रस्यंत सिंह

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री मनीष के. सैनी,

डॉ. महेश शर्मा की ओर से

## माननीय श्री जस्टिस अनिल कुमार उपमन

निर्णय की तिथि:

03/05/2024

## (रिपोर्टेबल)

ये विविध याचिकाएँ संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके विरुद्ध दूसरा प्रतिवादी अर्थात् एम/एस वाइब्रेंट एकेडमी द्वारा दायर की गई शिकायत मामलों की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द कराने के लिए दायर की गई हैं (जिसका विवरण नीचे उल्लिखित है) जो कि एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय अपराध से संबंधित हैं।

क्र.सं	प्रकरण संख्या	पक्षकार का नाम					अन्य विव	रण
1.	16286/2017	वाइब्रेंट एकेडमी	(1)	प्रा.	लि.	बनाम	लंबित	विचारण,
		पॉल मित्रा					माननीय	विशेष
							न्यायिक	मजिस्ट्रेट,
							एन.आई.	एक्ट
							मामले नं	.3, कोटा,
							राजस्थान	के समक्ष
2.	17034/2017	वाइब्रेंट एकेडमी	(1)	प्रा.	लि.	बनाम	लंबित	विचारण,
		आकाश					माननीय	विशेष
							न्यायिक	मजिस्ट्रेट,
							एन.आई.	एक्ट
							मामले नं	.3, कोटा,
							राजस्थान	के समक्ष
3.	20679/2027	वाइब्रेंट एकेडमी	(1)	प्रा.	लि.	बनाम	लंबित	विचारण,

		लोकेश कुमार	माननीय विशेष
			न्यायिक मजिस्ट्रेट,
			एन.आई. एक्ट
			मामले नं.३, कोटा,
			राजस्थान के समक्ष
4.	17033/2017	वाइब्रेंट एकेडमी (I) प्रा. लि. बनाम	लंबित विचारण,
		संजय कुमार सिंघल	माननीय विशेष
			न्यायिक मजिस्ट्रेट,
			एन.आई. एक्ट
			मामले नं.3, कोटा,
			राजस्थान के समक्ष
5.	16288/2017	वाइब्रेंट एकेडमी (।) प्रा. लि. बनाम	लंबित विचारण,
		बृजेश जिंदल	माननीय विशेष
			न्यायिक मजिस्ट्रेट,
			एन.आई. एक्ट
			मामले नं.3, कोटा,
			राजस्थान के समक्ष
6.	20594/2017	वाइब्रेंट एकेडमी (I) प्रा. लि. बनाम	लंबित विचारण,
		पीयूष माहेश्वरी	माननीय विशेष
			न्यायिक मजिस्ट्रेट,
			एन.आई. एक्ट
			मामले नं.3, कोटा,
			राजस्थान के समक्ष

2. चूंकि इन सभी\_मिस्क. याचिकाओं और उपरोक्त सभी आपराधिक शिकायत मामलों में कानून का समान प्रश्न शामिल है, अतः इन सभी मामलों को एक ही और सामान्य शिकायतकर्ता द्वारा दायर किया गया है, जिसमें एक ही न्यायालय, अर्थात्\_विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई. एक्ट केस नं.3, कोटा, राजस्थान में समान और समान आरोप

लगाए गए हैं। इन सभी छह. मिस्क. याचिकाओं को एक साथ सुनकर और इस सामान्य निर्णय द्वारा फैसला किया गया है।

3. इन विविध याचिकाओं की पृष्ठभूमि संक्षेप में यह है कि प्रतिवादी-शिकायतकर्ता एम/एस वाइब्रेंट एकेडमी (I) प्रा. लि. एक आईआईटी जेईई कोचिंग संस्थान चला रही है। उत्तरदाता कंपनी ने याचिकाकर्ताओं को यहाँ अपने नियोजन के लिए निश्चित शर्तों और नियमों के तहत अनुबंध करने हेतु आमंत्रित किया। शिकायतकर्ता-प्रतिवादी ने संबंधित याचिकाकर्ताओं से प्रश्नगत चेक (जिनका विवरण नीचे दिया गया है) प्राप्त किए ताकि यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंघन करने पर कंपनी को कोई भविष्य में हानि उठानी पड़े, तो उसकी पूर्ति की जा सके:-

क्र.सं.	चेक के ड्रॉअर (याचिकाकर्ता)	चेक नंबर एवं अन्य विवरण
1.	पॉल मित्रा	चेक संख्या 697616 दिनांक 22.06.2017,
		राशि ₹23,50,000/-, स्टेट बैंक ऑफ
		बीकानेर एंड जयपुर, इंस्ट्रमेंटेशन टाउनशिप
		शाखा, कोटा
2.	आकाश	चेक संख्या ७१७७१। दिनांक २२.०६.२०१७,
		राशि ₹49,00,000/-, स्टेट बैंक ऑफ
		बीकानेर एंड जयपुर, इंस्ट्रमेंटेशन टाउनशिप
		शाखा, कोटा
3.	लोकेश कुमार	चेक संख्या 008032 दिनांक 22.06.2017,
		राशि ₹12,90,000/-, स्टेट बैंक ऑफ
		बीकानेर एंड जयपुर, इंस्ड्रमेंटेशन टाउनशिप
		शाखा, कोटा
4.	संजय कुमार सिंघल	चेक संख्या 579540 दिनांक 22.06.2017,
		राशि ₹53,50,000/-, स्टेट बैंक ऑफ
		बीकानेर एंड जयपुर, इंस्ट्रमेंटेशन टाउनशिप

		शाखा, कोटा
5.	बृजेश जिंदल	चेक संख्या 555093 दिनांक 22.06.2017,
		राशि ₹28,50,000/-, स्टेट बैंक ऑफ
		बीकानेर एंड जयपुर, इंस्ड्रमेंटेशन टाउनशिप
		शाखा, कोटा
6.	पीयूष माहेश्वरी	चेक संख्या 328899 दिनांक 22.06.2017,
		राशि ₹33,50,000/-, स्टेट बैंक ऑफ
		बीकानेर एंड जयपुर, इंस्ड्रमेंटेशन टाउनशिप
		शाखा, कोटा

प्रश्नगत चेक संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता को स्रक्षा के रूप में जारी किए गए थे, और उस समय उनमें तिथि अंकित नहीं की गई थी। उस समय पक्षकारों के बीच यह सहमति बनी थी कि शिकायतकर्ता-प्रतिवादी अन्बंध की किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में इन चेकों को भुनाने के लिए प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगा और याचिकाकर्ता इन चेकों के प्रस्तुत होने पर भ्गतान करने के लिए बाध्य होंगे। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया और अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के कारण, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं को अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के लिए कई कानूनी नोटिस (सिविल और आपराधिक दोनों) जारी किए। याचिकाकर्ताओं ने इन नोटिसों का पृथक रूप से उत्तर देते हुए उसमें अपनी शिकायतें/रक्षा का उल्लेख किया। जब प्रश्नगत चेकों का भुगतान सम्मानित नहीं ह्आ, तो प्रतिवादी कंपनी ने विद्वान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई. अधिनियम मामले, क्रमांक 3, कोटा के समक्ष याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अपराध के लिए पृथक मामले दाखिल कर दिए। विद्वान निचली अदालत ने याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए विचारण आरंभ कर दिया है। इस प्रकार से अभियोजन वहां चल रहा है। अतः, याचिकाकर्ताओं ने विद्वान निचली अदालत के समक्ष अपने विरुद्ध लंबित शिकायत मामलों की समस्त आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने हेतु ये विविध याचिकाएं दायर की हैं।

- श्री दृश्यंत सिंह नरूका, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में उपस्थित किए गए विद्वान वकील, जोरदार और दृढ़ता से यह प्रस्तुत करते हैं कि शिकायती मामलों में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध विद्वान निचली अदालत में लंबित समस्त आपराधिक कार्यवाही को निरस्त और समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि खुद शिकायतकर्ता कंपनी का यह स्वीकार किया हुआ मामला है कि अनुबंध की तिथि पर कोई कानूनी ऋण या अन्य देयता मौजूद नहीं थी, जब शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ताओं के बीच अनुबंध अस्तित्व में आया। प्रश्नगत चेक उसी तिथि को जारी किए गए थे, अर्थात् अनुबंध की तिथि को, शिकायतकर्ता के पक्ष में, लेकिन ये चेक अदिनांक हैं। यह तर्क दिया गया है कि जिस अनुबंध के माध्यम से यह देयता उत्पन्न होती है, वह असमर्थ और अस्पष्ट अनुबंध है, तथा चेक मात्र भविष्य की हानि की पूर्ति हेत् सुरक्षा के रूप में जारी किए गए थे, जो भविष्य में हो भी सकती है या नहीं भी। यह भी तर्क दिया गया है कि धारा 138, एन.आई. एक्ट में प्रयुक्त 'किसी ऋण या अन्य देयता की पूर्ति के लिए' शब्दों की व्याख्या इस मामले में महत्वपूर्ण और निर्णायक है। इस शब्दावली का अर्थ है कानूनी रूप से बाध्यकारी ऋण या अन्य देयता। इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि धारा 138, एन.आई. एक्ट के तहत अपराध स्थापित करने के लिए, चेक जारी करने की तिथि पर कानूनी रूप से बाध्यकारी ऋण या अन्य देयता मौजूद होनी चाहिए। लेकिन जब प्रश्नगत चेक जारी किए गए थे, उस तिथि पर कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी ऋण मौजूद नहीं था, तो धारा 138, एन.आई. एक्ट के तहत याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता और उसे निरस्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंडस एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम मैग्नम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य. प्रकरण में दिये गये निर्णय पर ध्यान आकर्षित किया गया, जो 2014 क्र.एल.आर. (एस सी) 387 में प्रकाशित ह्आ है। उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान इंडस एयरवेज (सुप्रा)में दिये गये निम्नलिखित अवलोकनों की ओर आकर्षित किया:
  - "19. दिल्ली उच्च न्यायालय की उपरोक्त तर्क तर्क स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण है, क्योंकि उसने एन.आई. एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत दीवानी देयता और

आपराधिक देयता के बीच सूक्ष्म अंतर को ध्यान में नहीं रखा। यदि अनुबंध करते समय यह शर्त है कि खरीददार को अग्रिम राशि का भुगतान करना है और यदि ऐसी शर्त का उल्लंघन होता है, तो खरीददार को विक्रेता को हुई हानि की भरपाई करनी पड़ सकती है, किन्तु इससे धारा 138 के अंतर्गत कोई आपराधिक देयता उत्पन्न नहीं होती। धारा 138 के अंतर्गत आपराधिक देयता उत्पन्न होने के लिए चेक जारी करने की तिथि पर वैध रूप से प्रवर्तनीय ऋण या अन्य देयता मौजूद होनी चाहिए। हम दिल्ली उच्च न्यायालय की उस राय से सहमत नहीं हैं कि अनुबंध हस्ताक्षर करने के समय अग्रिम भ्गतान के लिए चेक जारी करना देयता के रूप में माना जाना चाहिए और ऐसे चेक का अपमान धारा 138 के तहत अपराध है। दिल्ली उच्च न्यायालय धारा 138 की सीमा से आगे निकल गया, जब उसने यह माना कि यदि ऑर्डर देने और अग्रिम भ्गतान करने के बाद भ्गतान रोकने के निर्देश दिए जाते हैं और ऑर्डर रद्द कर दिए जाते हैं, तो धारा 138 का उद्देश्य विफल हो जाएगा। हमारे उपर्युक्त विचार के अनुसार, यदि किसी सामग्री या वस्तु की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में चेक जारी किया गया है और किसी भी कारणवश खरीद ऑर्डर को उसके तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुँचाया जाता, चाहे वह रद्दीकरण या अन्य किसी वजह से हो, या आपूर्तिकर्ता द्वारा वह माल या वस्त् आपूर्ति नहीं की जाती जिसके लिए ऑर्डर दिया गया था हमारे विचार में, चेक को यह नहीं कहा जा सकता कि वह किसी विद्यमान ऋण या देयता के लिए जारी किया गया है।"

- 6. इन प्रस्तुतियों के साथ, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में उपस्थित विद्वान वकील ने निवेदन किया है कि विविध याचिकाएँ स्वीकार की जाएँ और विद्वान निचली अदालत में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध लंबित मामलों की समस्त कार्यवाही निरस्त कर दी जाए।
- 7. विपरीत रूप में, श्री मनीष के. सैनि, डॉ. महेश शर्मा के सहयोगी, जो प्रतिवादी-शिकायतकर्ता के पक्ष में विद्वान वकील के रूप में उपस्थित हैं, याचिकाकर्ताओं के वकील की प्रस्तुतियों का विरोध करते हैं। यह तर्क दिया गया है कि विद्वान निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, सोच-समझकर, एन.आई. एक्ट की धारा 138

के तहत याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के आदेशों में कोई गैरकान्नी बात नहीं है। चूंकि याचिकाकर्ता निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्लगत चेक की राशि का भुगतान करने में विफल रहे, इसलिए एन.आई. एक्ट के तहत उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई। यह तर्क दिया गया है कि जब चेक जारी किए गए और हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए गए, तो चेक के धारक के पक्ष में वैध रूप से प्रवर्तनीय ऋण की धारणा उत्पन्न होगी। यदि चेक के ड्रॉअर द्वारा हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो चेक पर तिथि न होने या चेक क्रमांक के जारी होने के समय बिना तिथि वाले चेक के संबंध में किया गया तर्क विपरीत पक्ष के लिए निरर्थक होगा। वह यह भी तर्क देते हैं कि एक परवर्ती दिनांक (पोस्ट डेटेड) चेक को उस दिनांक पर जारी माना जाता है, जिसे वह वहन करता है, और केवल वही दिनांक प्रासंगिक होती है और उसी दिनांक पर वह "चेक" का स्वरूप ग्रहण कर लेता है।

- 8. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने सुप्रीम कोर्ट के आई.सी.डी.एस. लिमिटेड बनाम बीना शबीर: 2002 (2) एससीसी 426 मामले में दिये गये निर्णय पर भरोसा किया है। वह यह प्रस्तुत करते हैं कि बीना शबीर (सुप्रा) मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सुरक्षा के रूप में दिये गये चेक भी धारा 138 एन.आई. एक्ट के दायरे में आते हैं, और व्यक्ति अपनी देयता से बच नहीं सकता। जब चेक प्रस्तुत करने की तिथि पर कोई मौजूदा देयता होती है, और दिये गये "सुरक्षा चेक" बाउंस हो जाते हैं, तो आरोपी धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत उत्तरदायी होगा। वह यह भी प्रस्तुत करते हैं कि उपर्युक्त उद्धृत टिप्पणियाँ इंडस एयरवेज (सुप्रा) मामले में ओबिटर डिक्टा हैं, क्योंकि वे विचाराधीन मामले के निर्णय के लिए आवश्यक नहीं थीं। बीना शबीर (सुप्रा) का पूर्व निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं लाया गया था। साथ ही, निम्नलिखित सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भी भरोसा किया गया है।:-
- (i). दशरथभाई त्रिकमभाई पटेल बनाम हितेश महेन्द्रभाई पटेल एवं अन्य, जो 2022 लाइवलॉ (एससी)830 में रिपोर्टेड है; तथा

- (ii). मेसर्स श्री दानेश्वरी ट्रेडर्स बनाम संजय जैन एवं अन्य, जो (2019) 16 एससीसी 83 में रिपोर्टेड है।
  - अतः, विद्वान वकील विविध याचिकाओं की खारिज़गी की प्रार्थना करता है।
- 9. मैंने बार में प्रस्तुत तर्कों को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
- 10. यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता कंपनी को दिए गए चेक का जारी किया जाना और उन पर हस्ताक्षर करना स्वीकार्य है। यह भी विवादित नहीं है कि जब प्रश्नगत चेक शिकायतकर्ता को दिए गए, तब उनमें तिथियां अंकित नहीं थीं और ये चेक सुरक्षा के उद्देश्य से दिए गए थे। मूल तर्क, जिस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील अपना पक्ष स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, यह है कि जब चेक जारी/निर्गत किए गए, उस समय कोई वैध रूप से प्रवर्तनीय ऋण या अन्य देयता मौजूद नहीं थी, अतः एन.आई. एक्ट की धारा 138 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
- 11. याचिकाकर्ताओं ने पूरी समझदारी के साथ अपनी नियुक्ति के लिए शिकायतकर्ता कंपनी के साथ निश्चित नियमों और शर्तों के तहत अनुबंध किया और पक्षकारों के बीच किए गए अनुबंध के अनुसरण में, याचिकाकर्ताओं द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित बिना तिथि वाले चेक कंपनी को दिए गए। जब याचिकाकर्ताओं ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया, तो उत्तरदाता-शिकायतकर्ता ने प्रश्नगत चेक प्रस्तुत किए और उनके बाउंस होने पर, उत्तरदाता कंपनी द्वारा याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही आरंभ की गई। यदि याचिकाकर्ताओं को उसके नियमों व शर्तों को लेकर कोई संदेह या शंका थी, तो उन्हें प्रारंभिक चरण में ही उक्त अनुबंध का विरोध एवं चुनौती देनी चाहिए थी। किंतु, याचिकाकर्ताओं ने स्वयं अनुबंध को स्वीकार किया।
- 12. जो भी हो, याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी कंपनी के बीच किया गया अनुबंध वैध है या नहीं, अथवा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर कोई देयता उत्पन्न होती है या नहीं,

यह इस स्तर पर निर्णित नहीं किया जा सकता और इसे परीक्षण न्यायालय के समक्ष परीक्षण और मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए, साक्ष्य की सराहना वांछनीय नहीं है। अतः, इस मामले के इस पहलू पर यह न्यायालय कोई टिप्पणी करने के पक्ष में नहीं है। इस दृष्टिकोण को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रतीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम स्टेट (एनसीटी ऑफ दिल्ली), 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 513, के मामले में दिये गये निर्णय से बल मिलता है, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है:—

"...किसी भी स्थित में, जब कानूनी अभिकल्पना हो, तो विलोपन करने वाली अदालत के लिए यह उचित नहीं होगा कि आरोपित तथ्यों पर गहन जांच स्वयं कर ले, बिना पहले ट्रायल कोर्ट को पक्षकारों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने का अवसर दिए। विलोपन करने वाली अदालत को यह उत्तरदायित्व स्वयं पर नहीं लेना चाहिए कि वह तथ्यों की विवाद की स्थिति में सही-गलत को अलग करें। दूसरे शब्दों में कहें, विलोपन की कार्यवाही ऐसी त्वरित प्रक्रिया नहीं बन जानी चाहिए, जिसमें तथ्यगत विवाद के गुण-दोष पर अंतिम निष्कर्ष दिया जाए जिससे या तो शिकायतकर्ता या प्रतिवादिनी का पक्ष पूरी तरह प्रमाणित हो जाए।"

- 13. यह दोनों पक्षकारों द्वारा विवादित नहीं है कि चेक जारी किए जाने की तिथि पर कोई ऋण या देयता विद्यमान नहीं थी। संबंधित चेक (बिना तिथि वाले) सुरक्षा के तौर पर दिए गए थे और शिकायतकर्ता के अनुसार, अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर उन्हें भुनाने हेतु प्रस्तुत किया गया। सालार सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन लिमिटेड बनाम साउथ इंडिया विस्कोज़ लिमिटेड: (1994) 3 अपराध 295 (एमए डी) में यह निर्धारित किया गया कि वही तिथि प्रासंगिक मानी जाएगी जो चेक पर लिखी हो। एक परवर्ती दिनांकित (पोस्ट डेटेड) चेक को उसी दिनांक को जारी माना जाएगा, जो तिथि उसमें अंकित हो।
- 14. मैंने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत न्यायनिर्णय को भी ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मेरी सुविचारित राय में, इंडस एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के तथ्यों और

परिस्थितियों में वर्तमान मामले से पूर्णतः भिन्नता है। उक्त मामले में, चेक खरीद आदेशों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में जारी किए गए थे। अनुबंध की एक शर्त यह थी कि सम्पूर्ण भुगतान आपूर्तिकर्ता को अग्रिम में दिया जाएगा क्योंकि उसे विदेश से सामान मंगवाना था। उस मामले में, खरीदार ने खरीद आदेश रद्द कर दिए और दोनों चेक लौटाने के लिए आपूर्तिकर्ता से अनुरोध किया। हालांकि, जब चेक प्रस्तुत किए गए, तब वे इसलिए अनाइत हुए क्योंकि खरीदार ने भुगतान रोक दिया था। अतः, ऐसी स्थिति से निपटते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत आपराधिक देयता सिद्ध करने के लिए, चेक जारी करने की तिथि पर कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण मौजूद होना चाहिए। किंतु वर्तमान मामले में, तथ्य पूरी तरह भिन्न हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को केस की पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के प्रकाश में देखा जाना चाहिए।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, दशरथभाई त्रिकमभाई पटेल (सुप्रा)प्रकरण में, उपर्युक्त इंडस एयरवेज (सुप्रा) में व्यक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, यह माना है कि एन.आई. एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत किसी अपराध के गठन के लिए, अस्वीकृतचेक के परिपक्वता अथवा प्रस्तुति की तिथि पर उसका वैध रूप से प्रवर्तनीय ऋण होना आवश्यक है। इस सन्दर्भ में प्रासंगिक टिप्पणियां नीचे आसान संदर्भ हेतु उद्धृत की जा रही हैं:-

"14. इंडस एयरवेज़ (सुप्रा) से सुनील तोदी (सुप्रा)तक के निर्णय यह दर्शाते हैं वि सुरक्षा के रूप में जारी पोस्ट डेटेड चेक धारा 138 के अंतर्गत आते हैं या नहीं, इसका विश्लेषण बहुत कुछ समय-प्रासंगिकता पर निर्भर करता है। . इंडस एयरवेज़ (सुप्रा) में इस न्यायालय ने माना कि धारा 138 के तहत अपराध के गठन के लिए, चेक जारी करने की तिथि पर ऋण होना आवश्यक है। हालांकि, बाद के निर्णय इस विषय पर और अधिक सूक्ष्म स्थिति अपनाते हैं, जब वे धारा 138 के तहत पोस्ट डेटेड चेक के बाउंस होने पर कार्यवाही की वैधता पर चर्चा करते हैं। इस न्यायालय ने सैम्पेली सत्यनारायण राव (सुप्रा)में निरंतर माना है

कि चेक में अंकित तिथि (जो परिपक्वता की तिथि है) पर वैध रूप से प्रवर्तनीय ऋण होना चाहिए।

इस न्यायालय ने एनईपीसी माइकॉन लिमिटेड बनाम मैग्ना लीजिंग लिमिटेड, में माना कि न्यायालयों को धारा 138 की व्याख्या करते समय विधायी उद्देश्य का उल्लेख करना चाहिए ताकि गलत प्रवृत्ति का दमन हो और उपचार आगे बढे। सामान्य रूप से अधिनियम का उद्देश्य और विशेष रूप से धारा 138 का उद्देश्य चेक की स्वीकार्यता बढ़ाना और व्यापारिक लेन-देन में विनिमेय दस्तावेज़ों की प्रभावशीलता में विश्वास पैदा करना है। धारा 138 चेक के बाउंस होने को अपराध बनाती है, जो उपलब्ध दीवानी उपचार के अतिरिक्त है। चेक के बाउंस होने के अपराधीकरण द्वारा चेक के अनादरण के अपराधीकरण के द्वारा, विधायिका का उद्देश्य विनिमेय दस्तावेज डॉअर (जारीकर्ता) की ओर से किसी भी बेईमानी को रोकना था। धारा 138 की व्याख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे चेक के धारक की कोई बेईमानी भी स्वीकृत हो जाए। एक चेक सुरक्षा के रूप में इसलिए दिया जाता है ताकि प्राप्तकर्ता के पास, भविष्य में यदि ऋण का भुगतान न हो सके, तो उस चेक को भुनाने का विकल्प बना रहे। अतः, चेक सुरक्षा के रूप में इस विचार के साथ जारी और प्राप्त किए जाते हैं कि उसमें उल्लिखित पूरी या आंशिक राशि चेक के नकदीकरण से पूर्व ही चुका दी जा सकती है। 16. इस न्यायालय के पोस्ट-डेटेड चेकों तथा धारा 138 के उद्देश्य को पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि तब ही कोई अपराध बनता है जब चेक की परिपक्वता की तिथि पर वह चेक विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण को दर्शाता है। धारा 138 के तहत अपराध चेक के अनादरण से उत्पन्न होता है जब उसे नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि एक पोस्ट-डेटेड चेक संभव है कि अपने जारी किए जाने के समय विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण को दर्शाए, लेकिन अपराध तभी बनता है जब चेक अपनी परिपक्वता या नकदीकरण की तिथि पर विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण को दर्शाए। यदि परिस्थितियों में ऐसा कोई भौतिक परिवर्तन हुआ हो कि चेक में उल्लिखित राशि परिपक्वता या नकदीकरण की तिथि पर विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण को न दर्शाती हो, तो धारा 138 के तहत अपराध नहीं बनेगा।"

16. एक चेक एक मौद्रिक साधन है। कई मामलों में, यह अनाहत या बाउंस हो जाता है। ऐसा तब होता है जब चेक में उल्लिखित राशि उस खाते में उपलब्ध राशि से अधिक होती है, जिससे चेक जारी किया गया है। विनिमेय लिखत अधिनियम की धारा 138 का उद्देश्य ऐसे मामलों में, जब चेक अनाहत होता है, कानूनी परिणाम निर्धारित करना है। यह मूलतः प्रापक को एक सुरक्षा प्रदान करता है और उसके अधिकारों की रक्षा करता है। धारा 138 न केवल प्रापक के पक्ष में आपराधिक जिम्मेदारी तय करती है, बल्कि एक दीवानी वाद की भी व्यवस्था करती है, जिसे प्रापक ड्रॉअर के विरुद्ध दायर कर सकता है।

एक पोस्ट-डेटेड चेक वह साधन है, जिसमें कोई भविष्य की तिथि लिखी जाती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि चेक उसी तिथि को या उसके बाद ही भुनाया जा सकता है। उन भविष्य की तिथि से आगे की तिथि तक। ऐसे मामलों में जब चेक का अनादरण होता है, दो महत्वपूर्ण तिथियाँ होती हैं — चेक जारी करने की तिथि और चेक की परिपक्वता की तिथि। आमतौर पर दोनों तिथियों पर मौजूद ऋण या देयता की राशि समान होती है। लेकिन कुछ मामलों में, इन दो तिथियों के बीच आंशिक भ्गतान किया जाता है, जिससे परिपक्वता की तिथि पर देय राशि कम हो जाती है। इस संदर्भ में, यह प्रश्न उठता है कि क्या नेगोशिएबल इंस्ड्रमेंट्स एक्ट की धारा-138 के तहत अपराध चेक जारी करने की तिथि या परिपक्वता की तिथि पर मौजूद देयता/ऋण से बनता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दशरथभाई त्रिकमभाई पटेल (सुप्रा) मामले में निर्णय दिया कि जब चेक जारी होने के बाद-लेकिन उसके भुगतान से पहले-आंशिक भुगतान किया गया हो, तब धारा-138 कब लागू होगी। अदालत ने माना कि ऐसे किसी भी भ्गतान को चेक पर धारा-56 के अंतर्गत उल्लेखित होना चाहिए। उपर्युक्त निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने कई अन्य सुप्रीम कोर्ट निर्णयों का उल्लेख किया, जिनमें इंडस एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) भी शामिल है। बाद के निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर और गहराई से विचार किया और माना कि आंशिक भुगतान के मामलों में, चेक जारी करने की तिथि को धारा-138 के प्रयोजन हेत् मानना अन्यायपूर्ण है, क्योंकि जारी करने की तिथि पर देय राशि चेक के भुगतान की तिथि की देय राशि से अधिक होगी। यह उस ड्रावर के लिए अन्यायपूर्ण है, जिसने अन्य किसी माध्यम से आंशिक भुगतान कर दिया है। अतः न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए निर्णय दिया कि परिपक्वता की तिथि (चेक की परिपक्वता) पर देय राशि के आधार पर ही धारा-138 के तहत ऋण उत्पन्न होने का निर्धारण किया जाना चाहिए।

- 18. संम्पेली सत्यानारायण राव बनाम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड मामले में, जिसे 10 एस सी सी 458 में रिपोर्ट किया गया, यह निर्णय दिया गया कि धारा 138 के प्रवर्तन के लिए यह परीक्षण किया जाएगा कि क्या चेक में उल्लिखित तिथि को कोई कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण मौजूद था। यदि इसका उत्तर सकारात्मक होता है, तो धारा 138 के प्रावधान लागू होंगे।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन मुद्दों को निर्धारित करने के लिए केवल 19. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ही नहीं अपनाया है, बल्कि विशेष रूप से धारा-138 की रोशनी में, नेगोशिएबल इंस्डूमेंट्स अधिनियम की विधायी मंशा को भी ध्यान में रखा है। एनईपीसी माइक्रोन लिमिटेड बनाम मैग्ना लीजिंग लिमिटेड एआईआर 1995 एससी 1952, तथा स्नील टोडी बनाम गुजरात राज्य, आपराधिक अपील संख्या 1446 ऑफ 2021 के मामलों में, न्यायालयों ने यह माना कि किसी भी गलत कार्य की रोकथाम तथा उपचार उपलब्ध कराने के लिए, धारा-138 को विधायी मंशा के सापेक्ष पढ़ा जाना चाहिए। अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य, जैसा कि धारा-138 में व्यक्त किया गया है, व्यापार करने के लिए चेकों की स्वीकृति और नेगोशिएबल इंस्ड्रमेंट्स की उपयोगिता और विश्वास को बढ़ाना है। विधायी मंशा के मुद्दे पर और अधिक समझने के लिए, उपर्युक्त सुनील तोदी मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुनील तोदी के मामले में, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने धारा-138 में "ऋण या अन्य देयता" वाक्यांश पर विस्तार से चर्चा की, ताकि विधान के वास्तविक उद्देश्य को समझा जा सके। पहले के मामलों में यह माना गया कि "ऋण" शब्द में केवल चेक जारी करने की तिथि पर इावर द्वारा पेयी को दी जाने वाली राशि शामिल है। लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि "अन्य देयता" उस धारा के भीतर एक अलग

वाक्यांश है, और इसे "ऋण" शब्द से अलग पहचानना आवश्यक है। अतः, परिपक्वता की तिथि पर उत्पन्न होने वाली देयता धारा-138 के अंतर्गत शामिल की जाएगी।

- उपरोक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य में, मैं इस विचार पर हूँ कि याचिकाकर्ता अपनी देयता 20. से इस आधार पर भाग नहीं सकते कि चेक जारी/आहरण की तिथि को कोई विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या देयता मौजूद नहीं थी। एन.आई. अधिनियम के अंतर्गत विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या देयता के अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक तिथि संबंधित चेक की प्रस्त्ति/परिपक्वता की तिथि है। यदि चेक की प्रस्त्ति की तिथि पर कोई विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या देयता बनी रहती है, चेक का अनादरण हो जाता है और ड्रावर विधिक नोटिस दिए जाने के बाद नियत समयाविध में चेक की राशि का भ्गतान करने में विफल रहता है, तो संबंधित चेक का ड्रावर एन.आई. अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन का सामना करेगा। तथापि, अभियुक्त याचिकाकर्ताओं को शिकायतकर्ता से जिरह करने और परीक्षण के दौरान अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी, ताकि चेक की प्रस्तुति की तिथि को अध्यधि रूप से प्रवर्तनीय ऋण या देयता की धारणा का खंडन किया जा सके; अन्बंध की वैधता को अस्वीकार किया जा सके तथा अन्य कोई भी सामग्री, जो उनके पक्ष में हो, प्रस्तुत की जा सके।
- 21. आगे, इस तथ्य को देखते हुए कि उपर्युक्त मामले वर्ष 2017 में विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर किए गए थे और अब तक लगभग सात वर्ष बीत चुके हैं, ट्रायल कोर्ट को कार्यवाही शीघ्रता से करने का निर्देश दिया जाता है।

22. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, विविध याचिकाएँ विफल होकर खारिज की जाती हैं। स्थगन आवेदनों का भी निपटारा किया जाता है।

(अनिल कुमार उपमन), जे

सुधीर असोपा/

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Talun Mehra

Tarun Mehra

**Advocate**